रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 13] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 13, 2014/पौष 23, 1935

No. 13] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 13, 2014/PAUSHA 23, 1935

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 2014

सा. का. नि. 16(अ).- केन्द्रीय सरकार, ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 33 और धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड से परामर्श के पश्चात्, निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसमें ओषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 का और संशोधन किया जाना प्रस्तावित है, उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है और सूचना की जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से पैंतालिस दिन के पश्चात् विचार किया जाएगा जिसको उक्त प्रारूप नियम के अंतर्विष्ट करने वाली भारत के राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध थी :

उक्त नियम के संबंध में किसी व्यक्ति से विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त किए जाने वाले सभी आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा ;

आक्षेपों और सुझावों, यदि कोई हो, को सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली - 110011 को भेजा जा सकता है ।

प्रारूप नियम

1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम ओषधि और प्रसाधन सामग्री (प्रथम संशोधन) नियम, 2014 है ।
2. ओषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के नियम 148-ख के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"148-ग प्रसाधन सामग्री का पशुओं पर परीक्षण का प्रतिषेध— कोई व्यक्ति प्रसाधन सामग्री के परीक्षण के लिए किसी पशु का प्रयोग नहीं करेगा ।"

[फा.सं. एक्स-11014/7/2013-डी.एफ.क्यू.सी.]

अरुण के. पण्डा, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ. 28-10/45-एच (1) तारीख 21 दिसंबर, 1945 को प्रकाशित किए गये थे और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3 के उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 724(अ) तारीख 7-11-2013 द्वारा उनका अंतिम बार संशोधन किया गया था ।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th January, 2014

G.S.R. 16 (E).- The following draft rules further to amend the Drugs and Cosmetics Rules, 1945, which the Central Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by section 12 and section 33 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), after consultation with the Drugs Technical Advisory Board, is hereby published for the information of all persons likely to be affected thereby, and the notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of forty-five days from the date on which the copies of the Gazette of India containing these draft rules are made available to the public;

The objections and suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules within the period specified above, will be considered by the Central Government;

Objections and suggestions, if any, may be addressed to the Secretary, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, Nirman Bhawan, New Delhi- 110011.

Draft rules

1. These rules may be called the Drugs and Cosmetics (First Amendment) Rules, 2014.

2. In the Drugs and Cosmetics Rules, 1945, after rule 148-B, the following rule shall be inserted, namely:-

"148-C. *prohibition of testing of cosmetics on animals.— No person* shall use any animal for testing of cosmetics."

[F. No. X 11014/7/2013-DFQC]

ARUN K. PANDA, Jt. Secy.

Note.- The principal rules were published in the Gazette of India vide notification No. F.28-10/45-H (1) dated the 21st December 1945 and last amended by notification published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 724(E), dated the 7th November, 2013.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.